

‘लाडली लक्ष्मी योजना’

LLY Form 1

‘लाडली लक्ष्मी योजना’ के अन्तर्गत रु. 6000/- का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र-1

प्रति,

परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला

मध्यप्रदेश
मैं अपनी पुत्री/आश्रम की बालिका कु. का पंजीकरण, ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ में कराना चाहता/चाहती हूँ। इसके लिए विवरण निम्नलिखित हैः-

बालिका
का
फोटोग्राफ

1	2	3
1.	बालिका का नाम	
2.	बालिका का जन्म दिनांक	
3.	बालिका की माता का नाम	
4.	बालिका की माता की आयु	
5.	बालिका के पिता का नाम	
6.	बालिका के पिता की आयु	
7.	बालिका के भाई बहनों की संख्या (बालिका को छोड़कर)	
8.	बालिका की बहन/भाई का नाम	
9.	बालिका की बहन/भाई का जन्म दिनांक	
10.	क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है ?	है / नहीं
11.	बालिका के माता-पिता के निवास का पूर्ण पता मकान क्रमांक वार्ड / ग्राम ऑगनवाड़ी केन्द्र तहसील जिला	
12.	पिनकोड आंगनवाड़ी क्षेत्र में कब से निवास करते हैं	जन्म से/ गत..... वर्षों से
13.	पोस्ट ऑफिस का नाम, जिससे राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किया जाना है।	
14.	बालिका के पिता / माता में परिवार नियोजन किसने अपनाया	
15.	परिवार नियोजन अपनाने की दिनांक	
16.	आवेदक का वर्ग / सामान्य / अ.जा./ अ.ज.जा./पि.वर्ग।	
17.	आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय	
18.	क्या बालिका के माता पिता आयकर-दाता हैं।	है / नहीं
19.	क्या बालिका के माता पिता बीपीएल कार्ड धारक हैं।	है / नहीं

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पत्नी श्री
जिला गाँव परियोजना
दिनांक की पुत्री कुमारी का जन्म
केन्द्र क्रमांक है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हैं। बालिका का नाम आँगनवाड़ी
परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के माता पिता के दो ही जीवित सन्तान हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बालिका
के माता पिता गाँव के मूल निवासी हैं।

नाम

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता
के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी-अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी संस्था में
दिनांक से पंजीकृत है। पंजीकरण के समय उसका जन्म दिनांक लगभग अंकित
की गई है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है।

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम / बाल संरक्षण गृह
का नाम एवं हस्ताक्षर

• बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश

- उक्त दिये गये तथ्यों के आधार पर कु. पुत्री श्रीमती
पत्नी श्री निवासी परियोजना
जिला के नाम रु. 6000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र 5 वर्षों तक खरीदने की स्वीकृति दी जाती
है। बालिका का नाम योजना के हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्या पर पंजीकृत है।

नाम एवं हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पत्नी श्री
जिला गाँव परियोजना
दिनांक की पुत्री कुमारी का जन्म
केन्द्र क्रमांक है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हैं। बालिका का नाम आँगनवाड़ी
परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के माता पिता के दो ही जीवित सन्तान हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बालिका
के माता पिता गाँव के मूल निवासी हैं।

नाम

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता
के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी-अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी संस्था में
दिनांक से पंजीकृत है। पंजीकरण के समय उसका जन्म दिनांक लगभग अंकित
की गई है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है।

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम / बाल संरक्षण गृह
का नाम एवं हस्ताक्षर

• बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश

- उक्त दिये गये तथ्यों के आधार पर कु. पुत्री श्रीमती
पत्नी श्री निवासी परियोजना
जिला के नाम रु. 6000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र 5 वर्षों तक खरीदने की स्वीकृति दी जाती
है। बालिका का नाम योजना के हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्या पर पंजीकृत है।

नाम एवं हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला